<u>दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा</u>

<u>डिक्री</u>

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

दिनांक :– 16/03/26

वादीगण की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरूका अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री सदाम हुसैन अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए इकबाल दावा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है:—

जुगलाल पुत्र भादरराम जाति हरिजन (धानक) के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 10 पी.बी. एन.ए के खाता स. 51/47 के कुल 3.795 हैक. नहरी गय गैर मु. खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड में वादी स. 1 ता 11 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा में वादी स. 1 ता 4 सुयक्त रूप 1/3 हिस्सा व वादी स. 5 ता 7 का 1/5 हिस्सा मे 1/3 हिस्सा व वादी स. 8 ता 11 का 1/5 हिस्सा मे 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा वादी स. 12 ता 17 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है वादी स. 18 ता 23 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व वादी स. 24, 25 व प्रतिवादी स. 1 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी स. 26 को 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जुगलाल का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिससें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 16/03/26...... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा।